

कार्यालय, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,  
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।


पत्रांक- एस- १५७/भ०लि०/२०१७-१८/निविदा-२०१८/

दिनांक : १९ जनवरी, २०१८

अल्प कालिक नीलामी सूचना

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ स्थित निदेशक, कृषि सांख्यिकी कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामग्री यथा स्टील अलमारी, कुर्सी, मेज, रैक, रिवाल्विंग चेयर, यू०पी०एस० तथा टाईपराइटर आदि "जहाँ है जैसा है" की स्थिति में नीलामी दिनांक ३१.०१.२०१८ को अपरान्ह ३:०० बजे कृषि भवन प्रेक्षागार, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में की जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति रू० १५,०००.०० (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा" के पक्ष में दय बतौर धरोहर राशि कृषि भवन, लखनऊ स्थिति सांख्यिकीय अनुभाग में कैशियर के पास जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलाम होने वाली सामग्री व नीलामी की अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में केयर टेकर, सांख्यिकीय अनुभाग के पास देखा जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये नीलामी निरस्त/रद्द करने का अधिकार होगा। नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट पर अपलोड है।

  
(विनोद कुमार)  
निदेशक।

अल्पकालिक नीलामी सूचना की नियम एवं शर्तें—

1. समान जहाँ है, जैसी स्थिति में है, अधिकतम बोली द्वारा उठाया जायेगा।
2. अधिकतम बोली दाता को अधिकतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार वैट अलग से देना होगा।
3. नीलामी की जाने वाली सामग्री किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य कार्यालय, कृषि भवन, लखनऊ में देखी जा सकती है।
4. नीलामी बोली में जी0एस0टी0/पैन पंजीकृत भाग लेने वाले व्यक्ति निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कार्यालय अध्यक्ष के पक्ष में देय बतौर धरोहर राशि कार्यालय के कैशियर के पास नीलामी की निर्धारित तिथि को प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे पूर्वान्ह तक जमा करनी होगी।
5. नीलामी की अधिकतम बोली बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।
6. नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के उपरांत 02 दिन के अन्दर नीलामीदाता द्वारा सामग्री न उठाने पर प्रतिदिन रू0 1500.00 दण्ड स्वरूप देना होगा।

18/11/18  
(विनोद कुमार)  
निदेशक।